



पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मिलिट्री स्टेशन अबोहर (पंजाब)-152116

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA MILITARY STATION ABOHAR (Punjab)

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान)

(An autonomous Body under Ministry of Education, Government of India)

Email: kvabohar@gmail.com website:- www.abohar.kvs.ac.in

दूरभाष/Phone/01634-220123, 223332. CBSE Affiliation no: 1600028

फाइल संख्या . A-20/KV/Abohar/2024-25/

दिनांक : 16-04-2025

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय अबोहर के निम्न विभागों में अनुपयोगी पुराने सामान की नीलामी 'जैसा है, जिस हालात में' के आधार पर दिनांक 05.05.2025 (सोमवार) को दोपहर 11:00 बजे विद्यालय परिसर में की जाएगी | सभी इच्छुक बोलीदाता 05.05.2025 (सोमवार) को 09:00 से 10:00 बजे के बीच बोली लगाने से पूर्व सामान को देख सकते हैं | अधिकतम बोली लगाने वाले को बोली की प्रक्रिया के तुरंत बाद पूरी धनराशि जमा करवानी होगी |

खण्ड	क्र.सं.	विभाग का नाम	वस्तु
(क)	1	कंप्यूटर व सूचना तकनीकी ई-कचरा (अनुपयोगी/तकनीकी रूप से अप्रचलित/आर्थिक मरम्मत से परे उपकरण आदि)	कंप्यूटर, युपीएस, प्रोजेक्टर, ए.सी.(खिड़की), प्रिंटर आदि
(ख)	1	फर्नीचर	कुरसी, टेबल, अलमारी, डेस्क आदि
	2	भौतिक प्रयोगशाला	प्रयोगशाला उपकरण आदि
	3	रसायन प्रयोगशाला	प्रयोगशाला उपकरण आदि
	4	गणित प्रयोगशाला	पुस्तकें और पत्रिकाएं, गणित उपकरण आदि
	5	संगीत	संगीत उपकरण आदि
	6	सी.एम.पी.	सी.एम.पी.उपकरण आदि
	7	खेल कूद	खेल कूद उपकरण आदि
	8	कार्यानुभव	कैंची, फावड़ा, कस्सी, कुदाल आदि
	9	कार्यालय	प्रयोगशाला उपकरण आदि
	10	आडियो विसुअल्स	स्पीकर, एम्पलीफायर, माइक, आदि
	11	विद्यालय वि. निधि	लॉक्स, पौड़ी, वाटर कूलर आदि

शर्तें :-

- खण्ड क के लिए बोलीदाता के पास ई-कचरे से निपटने के लिए सरकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एनओसी/पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति और ई-कचरे को सही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से जारी कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज)
- बोलीदाता को बोली में भाग लेने से पूर्व अग्रिम धनराशि के रूप में 5000/- (पांच हजार रुपये) जमा करवाने होंगे | असफल बोलीदाता को अग्रिम धनराशि नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लौटा दी जाएगी |
- बोलीदाता को नीलामी के समय बताए गए नियमों का पालन करना होगा |
- बोलीदाता को वैध आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ वोटर कार्ड, फर्म के पंजीकरण दस्तावेज आदि की प्रति बोली के समय प्रस्तुत करनी होगी |
- आरक्षित मूल्य नीलामी के समय बताया जाएगा |
- यदि सफल बोलीदाता नीलामी के सामान की कीमत नहीं जमा करवा पाता है, तो अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी और अगले बोलीदाता को वस्तु दी जाएगी |
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी और उनके परिजनों को बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी |
- एक फर्म/दुकान से केवल एक बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है |
- यदि प्रक्रिया में कोई त्रुटि या विवाद सामने आता है, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रक्रिया रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा |

प्राचार्य